HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11263/2024

Prabal Pratap Singh S/o Shri Bharat Singh, Aged About 41 Years, R/o Village Gadiya Ghashiram, Tehsil Derapur, Police Station Mangalpur, District Kanpur Dehat, Uttar Pradesh. At Present Tenant Bhagwandas Ka Makan, Joshiyon Ka Sanganer Police Station Malpura Gate District Jaipur Rajasthan. (Presently Accused Petitioner Is Confined In Central Jail, Jaipur, Rajasthan).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11304/2024

Shri Shankar Yogi S/o Shri Raghunath Yogi, Aged About 43 Years, R/o Village Unth Itaana, Khatiyon Ka Mohalla, Police Station Tonk, District Tonk, Present R/o 117 Jaiman Vihar Colony, Behind Sanganer Stadium, Sanganer, Jaipur. (At Present Confined At Central Jail Ghatgate Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anil Kuma Tailor Ms. Swati Tank Mr. Manish Yadav Mr. Krishan Chander Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Jai Prakash Tiwari, PP Mr. Kapil Bhardwaj

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

16/12/2024

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना **मालपुरा गेट जयपुर पूर्व** में दर्ज प्रथम

सूचना रिपोर्ट संख्या **68/2024** अपराध अन्तर्गत धारा **420, 467, 468, 471, 201, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता** में नियमित जमानत का लाभ दिये जाने हेतु ये दो प्रार्थना–पत्र पेश किए गए हैं।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से शीतकालीन अवकाश से पूर्व मामला सूचीबद्ध किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2024 को वे चलाना नहीं चाहते हैं, अतः उक्त प्रार्थना–पत्र बल नहीं दिए जाने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त शंकर योगी की ओर से धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अग्रिम जमानत का प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.07.2024 को इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

दोनों जमानत प्रार्थना–पत्रों पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि उन्हें प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया हैं परिवादी जिस प्लॉट संख्या 117 को अपना होना बता रहा है, वह प्लॉट उक्त सोसायटी में अस्तित्व में ही नहीं था बल्कि प्लॉट संख्या 116 के बाद का सुविधा क्षेत्र था, परिवादी की कोई जमीन थी ही नहीं। उनका यह भी तर्क है कि पुलिस ने भी अन्वेषण के दौरान सत्यता जांचने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण का उक्त सोसायटी का कोई नक्शा प्राप्त नहीं किया है। उनका तर्क है कि वे उक्त नक्शे की प्रति न्यायालय में पेश कर रहे हैं, जिसमें प्लॉट संख्या 116 के पश्चात् सुविधा क्षेत्र होना दर्शित है, प्लॉट संख्या 117 नहीं है। जब परिवादी की कोई जमीन ही नहीं थी तो उसके साथ किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उनका तर्क है कि परिवादी को उक्त इकरारनामा जो कि उनके व प्रार्थीगण के मध्य निष्पादित होना बताया गया है से कोई सदोष हानि कारित नहीं हुई है। इस कारण प्रार्थीगण के विरूद्ध उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि वास्तविकता में प्रथम सूचना रिपोर्ट मूल रूप से जमीन पर उक्त भूमि पर रखे हुए सामान को खुर्द–बुर्द एवं चोरी होने के सम्बन्ध में ही दर्ज की गई है। उनका यह भी तर्क है कि यदि तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि जमीन का स्वामी परिवादी है तो फिर उस इकरारनामा से उसके अधिकार प्रभावित नहीं हैं, ऐसा इकरारनामा void ab initio है, इस आशय की घोषणा परिवादी सिविल न्यायालय से करवा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि परिवादी का किसी प्रकार का

कोई आधिपत्य इस जमीन पर नहीं रहा है, न ही ऐसी कोई साक्ष्य ही उपलब्ध है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 28.08.2024 से अभिरक्षा में हैं। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। अन्वेषण पूर्ण किया जाकर आरोप–पत्र पेश हो चुका है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उन्हें जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं लोक अभियोजक का तर्क है कि प्लॉट क्रमांक 117 परिवादी शैलेष को आवंटित हुआ था जिसका आवंटन पत्र आरोप–पत्र के साथ पेश है। उनका तर्क है कि सोसायटी ने प्लॉट धारकों की जो सूची जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 14.03.2002 को भिजवाई थी उसमें प्लॉट संख्या 117 परिवादी के नाम होना अंकित है। उनका यह भी तर्क है कि तथाकथित इकरारनामा जो किया गया है उसमें प्लॉट संख्या 117 अंकित है। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त शंकर योगी ने अन्य अभियुक्त से साज कर परिवादी की भूमि को अपना बताकर फर्जी इकरारनामा निष्पादित कर लिया और इस प्रकार सोचे समझे ढंग से परिवादी के प्लॉट को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाया तथा षड्यंत्रकारी वाद प्रस्तुत किया। उनका यह भी तर्क है कि उक्त इकरारनामा में 94 लाख रूपये में शंकर योगी और प्रबल प्रताप को भूमि बेचना अंकित है जिसमें से 69 लाख रूपये का चैक देना अंकित हे परन्तु शंकर के बैंक खाते पुलिस ने प्राप्त किए हैं जिसमें 15 हजार रूपये ही जमा हैं, किसी प्रकार के सौदे का कोई संव्यवहार नहीं हुआ है। उनका तर्क है कि दोनों अभियुक्तगण ने मिलकर सिविल न्यायालय में षड्यंत्रकारी वाद (Collusive suit) पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त कर ली है। गम्भीर प्रकृति का अपरध है, अतः उन्हें जमानत पर मुक्त नहीं किया जाए।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर यह आक्षेप है कि उन्होंने परिवादी उन्होंने परिवादी की जमीन के बेचान का इकरारनामा फर्जी रूप से बना लिया। अभियुक्त शंकर योगी ने इसे अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य का बताकर अभियुक्त प्रबल प्रताप सिंह को फर्जी इकरारनामा से बेच दिया। प्रार्थीगण का इस सम्बन्ध में यह कथन रहा है कि उक्त सोसायटी में प्लॉट नंबर 117 का अस्तित्व ही नहीं है, जबकि उन्होंने स्वयं इस इकरारनामा में प्लॉट नंबर 117 अंकित करके ही बेचान का इकरारनामा लिखा है। इस

इकरारनामा में 69,88,000/–रूपये की राशि जरिए नकद एवं 2,25,500/–रूपये जरिए चैक संख्या 000789 देना बताया गया है परन्तु ऐसी कोई भी राशि तथाकथित विक्रेता शंकर योगी के बैंक खातों में कभी आई ही नहीं, जैसा कि उसके बैंक खातों के विवरण से स्पष्ट हो रहा है। आरोप–पत्र में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्लॉट संख्या 117 का एक पट्टा परिवादी के नाम का है। जो सूची जयपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 14.03.2002 को भिजवाई गई है, उसमें भी परिवादी का नाम अंकित होना बताया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने परिवादी की भूमि का विक्रय इकरारनामा लिखकर उसकी सम्पत्ति को हड़पने का प्रयास किया है और तथाकथित इकरारनामा के आधार पर वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया है। जहां तक विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के इस तर्क का प्रश्न है कि तथाकथित इकरारनामा void ab initio है और परिवादी इसकी घोषणा सिविल न्यायालय से करवा सकता है तो हमारे विचार से किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वयं की सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी फर्जी इकरारनामा के आधार पर इस प्रकार से वाद (litigation) में नहीं उलझाया जा सकता है। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण का कहीं भी यह कथन नहीं रहा है कि प्लॉट संख्या 117 उनका अपना हो जबकि तथाकथित दस्तावेज इकरारनामा में **शंकर योगी ने अपने स्वयं के स्वामित्व एवं आधिपत्य में उक्त प्लॉट होना बताकर** दस्तावेज का सृजन किया है। सोचे–समझे ढंग से किया गया अपराध प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थतियों में मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर निरस्त किए जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /21-22